

संघीय

एशिया प्रशिक्षण शिक्षण परिषद

उत्तर प्रदेश संघनामा

संख्या- प्राविण/परिषद् सम्बद्धता/2023/12890001

संख्या- दिनांक: 12-08-2023

संघीय तथ्य-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों की अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के अंतर्गत प्राविणिक शिक्षा परिषद्, 5* ए* संघनामा से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में समाप्त दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/ फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविणिक शिक्षा परिषद्, 5* ए* संघनामा द्वारा सत्र 2023-24 हेतु विनियमित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उद्योग अखिल प्रदेश समता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1344-GAHLAUT PHARMACY COLLEGE HALDWAR DISTRICT BUNDR			
संस्था	पाठ्यक्रम का नाम	पदवी/डिप्लोमा/डिग्री की सीमा/आईए इकाय सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित पाठ्य क्रम	परिषद् द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित पाठ्य क्रम
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राविणिक शिक्षा, अनुक्रम-3 उत्तर प्रदेश समता के तहत संख्या 2/1/15-3393/2022 दिनांक-1 दिनांक 18 नवंबर 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समाप्त संस्थाओं की ओर से विद्यार्थी संख्याएं न्यूनतम में प्रतिदिन लिखित परीक्षा संख्या 0027/2023 में सतत न्यूनतम के अंतिम निर्णय के अधीन सम्बद्धता निर्णय की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई शर्तों तर्जों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुक्रम संघनामा में समाप्त संस्थाओं (पूर्व, समाप्त, विद्यार्थी, आदि) सम्बद्धता है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदत्त प्राविणिक शिक्षा परिषद्, ए* ए* 1982 तथा प्राविणिक शिक्षा परिषद्, विनियमन-1982, विनियमन-2000, विनियमन-2018 तथा संघनामा के अंतर्गत शर्तों का अनुपालन करेगी तथा कुल निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कुल ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक के अतिरिक्त छात्र/छात्रा की कुल के सम्बन्ध में संघनामा पर तालिका द्वारा निर्णय किये जाने वाले सम्बन्धित शर्तों होगी, और संशुद्धि कार्यवाही किया जाता सम्बन्धित होगा। विश्व निर्धारण समिति द्वारा वरी, सत्र 2023-24 हेतु विश्व का निर्धारण किया जाता है, जो विश्व की अधिकतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संशुद्धि परीक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित शर्तों को ही पालन किया जाएगा।
- ✓ संस्था को संघनामा पर निर्णय सम्बन्धित के अनुसार प्रतिक्रिया एवं सम्बद्धता कुल जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान द्वारा प्रोक्त वास्तव द्वारा निर्गत विधि/निष्कर्ष/प्रतिबन्ध/आदेश/निर्देश एवं निर्देशक, प्रविधिक शिक्षा, 2023, संयुक्त प्रोक्त प्रौद्योगिकी परिषद, 2023 तथा प्रविधिक शिक्षा परिषद, 2023 द्वारा बनाये गये नियमों, विधियों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिए आवश्यक है।
- ✓ यदि संस्थान का प्रविधिक भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कार्यकारी कार्यस्थित प्रोक्त इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है तो इस संस्था में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड संस्था का होगा और प्रविधिक रूप से किसी भी कार्यकारी के लिए संस्था अपने उत्तराखण्ड होगी। प्रविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रोक्त प्रौद्योगिकी परिषद, प्रविधिक शिक्षा निर्देशावली एवं प्रविधिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रोक्त वास्तव के विवाद यदि कोई आए द्वारा किया जाता है तथा द्वारा कद के संस्था में ना, स्वाभाविक द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रोक्त प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तराखण्ड प्रोक्त वास्तव द्वारा प्रोक्त एवं के लिए अनुमोदन प्रोक्त प्रौद्योगिकी परिषद इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त का परिषद कार्यस्थित को उत्तराखण्ड करना होगा अन्यथा उन्हें प्रोक्त की अनुमति प्राप्त नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तराखण्ड प्रोक्त वास्तव द्वारा प्रोक्त है। सम्पूर्ण-समय पर निर्गत सम्पूर्ण वास्तव प्रोक्त का अनुमोदन करना आवश्यक है।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रविधिक शिक्षा के सूचना पर संस्था की सम्पूर्ण सूचना जैसे संस्था की प्रविधिक पृष्ठ, सूत्र, स्टार, साउ-साउथ, उपकरण, पत्रा किया जाने वाला बुक, प्रोक्त बुक आदि का निराल उत्तराखण्ड करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु अनुमोदन प्राप्तवाला प्रोक्त करने के साथ प्रोक्त प्रोक्त के सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सुनिश्चित करने होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित है कि संस्था में प्रोक्त/प्रोक्त/प्रोक्त वास्तव को पालने वाले हेतु प्रोक्त प्रोक्त के सम्पूर्ण उत्तराखण्ड करके एवं प्रोक्त, प्रोक्त-प्रोक्त, प्रोक्त, उत्तराखण्ड प्रोक्त का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रोक्त/प्रोक्त के उत्तराखण्ड में प्रोक्त किया जाता है और प्रोक्त को प्रोक्त उत्तराखण्ड होती है कि संस्था प्रोक्त का प्रोक्त किसी अन्य प्रोक्त के लिए कर रही है तो उत्तराखण्ड संस्था को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड करना किने जाने की आवश्यकता की जायेगी।
- ✓ उत्तराखण्ड प्रविधिक शिक्षा (प्रविधिक और उत्तराखण्ड), संस्थाओं का सम्पूर्ण शिक्षा उत्तराखण्ड विनिष्कर्ष, 2023 के प्रतिप्रोक्त/प्रोक्त प्रोक्त की प्रोक्त पर प्रोक्त प्रोक्त/प्रोक्त, प्रोक्त और प्रोक्त का प्रोक्त, प्रोक्त प्रोक्त के उत्तराखण्ड के लिए प्रोक्त के प्रोक्त में प्रोक्त।
- ✓ संस्था के प्रोक्त प्रोक्त/प्रोक्त के प्रोक्त प्रोक्त प्रोक्त, प्रोक्त, प्रोक्त/प्रोक्त, उत्तराखण्ड प्रोक्त अन्य प्रोक्त/प्रोक्त प्रोक्त/प्रोक्त/प्रोक्त प्रोक्त/प्रोक्त/प्रोक्त के सम्पूर्ण/प्रोक्त उत्तराखण्ड नहीं प्रोक्त जाता है तो संस्था की सम्पूर्ण प्रोक्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्पूर्ण प्रोक्त का अनुमोदन न किने जाने प्रोक्त प्रोक्त का उत्तराखण्ड किने जाने की प्रोक्त में प्रोक्त/प्रोक्त/प्रोक्त प्रोक्त/प्रोक्त/प्रोक्त प्रोक्त/प्रोक्त की जायेगी।

(अर्जुन कुमार सिंह)

अधिव

फोन- प्रविधिक परिषद सम्बन्धित/2023/12090002-12091234

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि:-

उपप्रोक्त/निदेशक GAHLAUT PHARMACY COLLEGE HALDAUR DISTRICT BIJNOR

(अर्जुन कुमार सिंह)

अधिव

**आचार्य,
बतिस, उच्चशिक्षण विद्या, पलिया,
उत्तराखण्ड राज्य, भारत।**

संख्या:- बतिस/पलिया सम्बद्धता/2022/11127

दिनांक: दिनांक 29-12-2022

-सम्बद्धता पत्र-

बतिस संस्था (विशेष) 888/2022 एवं 847/2022 में मा. उच्चतर माध्यम द्वारा पलिया ज्योति विद्या 21-12-2022 के अनुदान में आवेगी कार्यविधि और उपाध्याय, पद रिक्तियों द्वारा वैश्विक वर्ष 2022-23 हेतु रिक्तियों एवं आवेगी परामर्श हेतु अनुदान प्रदान किए जाने के कारण उच्चशिक्षण विद्या पलिया, उत्तराखण्ड में सम्बद्धता प्रदान किए जाने के कारण से दिनांक 23-12-2022 को पलिया कार्यविधि में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु पी-सी-एन-ए द्वारा पद रिक्तियों एवं आवेगी कार्यविधि की उपाय अनुदान के अनुदान में सम्बद्धता प्रदान किए जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में विवेक एवं विवेक के अभाव में लिए गए बतिस को उच्चशिक्षण विद्या पलिया, 20 23 सम्बद्धता द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु विद्यार्थियों को के अभाव में सम्बद्धता एवं उपाय उचित प्रबंध करना हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

संस्था का कोड एवं नाम:- 1344, एडवोकेट ज्योति कंसिडर इंस्टीट्यूट, बिजनी।			
क्र.सं.	सम्बद्धता का नाम	पी.सी.एन. द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुदानित प्रबंध संख्या	पलिया द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु अनुदानित प्रबंध संख्या
1	विद्यार्थी एवं कार्यविधि	60	40

सम्बद्धता हेतु बतिस-

- ✓ संस्था पी.सी.एन. द्वारा विद्यार्थी की सभी कार्य विधा का पूर्णतः समर्थन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा उचित उच्चशिक्षण विद्या पलिया वर्ष 2022 तथा उच्चशिक्षण विद्या पलिया विद्यार्थीवर्ग 2022, विद्यार्थीवर्ग-2020, वेबसाइट विद्यार्थीवर्ग 2022 तथा अन्य-अन्य का विवेक माध्यमों का अनुदान करेगी तथा अनुदान विद्यार्थी समिति द्वारा विद्यार्थी अनुदान की प्रत्येक छत/छाया में प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र-छात्राओं के अनुदान के सम्बन्ध में समय-समय पर आचार्य द्वारा निर्देश किए जाने वाले सम्बन्धित प्रशासकीय हेतु, और अनुदान कार्यवाही किया जाना सम्बन्धित होगा। पी.सी.एन. कार्यविधि द्वारा वर्ष 2022-23 हेतु पी.सी.एन. का पूर्णतः समर्थन किया जाएगा।
- ✓ संस्था में अनुदान प्रबंध परीक्षा परिषद द्वारा अनुदान छात्रों की ही प्रेषित किया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर विवेक माध्यमों के अनुदान निर्देश एवं सम्बद्धता अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- ✓ संस्थाएं उपाय उचित आचार्य द्वारा अपने एवं विधि, विद्यार्थी, उच्चशिक्षण, माध्यमों, विद्यार्थी एवं विद्यार्थी, उच्चशिक्षण विद्या, उत्तराखण्ड अनुदान प्रबंध पलिया पलिया उत्तराखण्ड उपाय उच्चशिक्षण विद्या पलिया, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदान करे विद्यार्थी विद्यार्थी, ज्योति, विद्यार्थी का प्रदान करने के लिए कार्यवाही है।
- ✓ सभी संस्थाओं का पी.सी.एन. के अनुदान विवेक प्रदान किया जाता है। जो एक संस्था में समय-समय पर सम्बद्धता प्रबंध का होगा और विवेक एवं के विधि को कार्यवाही के लिए संस्था अपने उपस्थिति होगी। उच्चशिक्षण विद्या पलिया, अनुदान प्रबंध पलिया पलिया, उच्चशिक्षण विद्या विद्यार्थी एवं उच्चशिक्षण विद्या विद्यार्थी उपाय उचित आचार्य के विवेक एवं कोडें बाद प्रदान किया जाता है तथा प्रदान बाद के संस्था में मा. माध्यम द्वारा किसी उपाय की प्रतिक्रिया प्रेषित करके निर्देश किया जाता है। जो समय-समय पर उचित प्रबंध को करनी होगी।
- ✓ सम्बद्धता की अनुदान प्रबंध पलिया पलिया, उत्तराखण्ड उपाय उचित प्रबंध द्वारा प्रेषित बतिस के लिए अनुदान प्रबंध पलिया हेतु कार्यविधि प्रदान होने के पूर्व पी.सी.एन. के अनुदान प्रबंध का पलिया कार्यविधि की उपस्थिति प्रदान होगा सम्बद्धता एवं प्रबंध की कार्यविधि के कारण से प्रबंध पलिया के कारण पर/सी.एन. प्रेषित, अनुदान प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तराखण्ड उपाय उचित प्रबंध हेतु प्रबंध प्रबंध पर विवेक परीक्षा प्रबंध विद्यार्थी का अनुदान प्रदान कार्यवाही होगी।



- ✓ संस्था को अपने कार्यालय तथा प्रतिष्ठित विद्या के पुस्तकालय, सैलिन वगैरों को संस्था की प्रतिष्ठित वृद्धि भूमि, भवन, बाग-बगीचा, उपकरण, सामान आदि को सुरक्षित रखना होगा।
- ✓ संस्था को निम्न-लिखित हेतु उपयुक्त कार्यालय उपकरण आदि के साथ निम्न विषयों के सम्बन्ध में अपना आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित होना कि संस्था में प्रशासनिक/वित्तिक/राजस्व को सम्बन्धित सभी विहित समिति के साथ उपयुक्त समये सवे उपयुक्त भूमि-बाग, पार्किंग, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रायोजक के सम्बन्ध में प्रेषित किया जाता है और प्रेषित की इसकी आवश्यकता होती है कि संस्था प्रयोग का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बन्धित प्रत्येक किसे अपने ही कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के जीवन-मन्वीर/निर्वाह के दौरान यदि संस्था के भूमि, भवन, उपकरण, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पत्तियों/सर्विस/प्रतिष्ठ के सम्बन्धित सभी कार्य कराये जाते हैं तो संस्था की सम्बन्धित प्रत्येक का ही जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित सभी का अनुपालन न किसे करने वाला सभी का उपकरण किसे करने की स्थिति में निम्नलिखित अनुसंधान/कार्यवाही की जायेगी।


 (संस्था के नाम)
 अधिकारी।

सूचना-संज्ञित/प्रतिष्ठ संख्या/2022/11128-11255

दिनांक: 23-12-2022

प्रतिष्ठित - 70/बाग/प्रतिष्ठ, राष्ट्रीय कानूनी प्रवेश परीक्षा, दिल्ली


 SIKHAI PHARMACY COLLEGE
 HUDA


 (संस्था के नाम)
 अधिकारी।